संचिका सं0–10/अनु०–5–05/2014.....1044.....(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– **वित्त विभाग ।**

पटना, दिनांक– 05/02/2019

विषय:– वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के 6 अनुमंडलीय अस्पताल यथा रक्सौल (पूर्वी चम्पारण), सिकरहना ढाका (पूर्वी चम्पारण), विरौल (दरभंगा), गोगरी (खगड़िया), वीरपुर (सुपौल) एवं त्रिवेणीगंज (सुपौल) के प्रथम चरण में 50 शैय्या के भवन निर्माण हेतु विभिन्न दरों पर कुल रुपये 1,05,22,00,000/– (एक अरब पाँच करोड़ बाइस लाख रुपये) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत ।

बिहार राज्य में कुल 101 अनुमंडल है, जिसमें से 38 अनुमंडल, 38 जिला मुख्यालय में अवस्थित है। 38 जिला मुख्यालयों में से सम्प्रति पटना एवं दरभंगा जिला को छोड़कर 36 जिला मुख्यालयों में अनुमंडलीय अस्पताल की आवश्यकता को दूसरी प्राथमिकता में रखने के पश्चात 63 मुफस्सिल अनुमंडल में अनुमंडलीय अस्पतालों की आवश्यकता है। वर्त्तमान में 55 अनुमंडलों में 55 अनुमंडलीय अस्पताल स्वीकृत/कार्यरत है। शेष 7 अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल की आवश्यकता है, इनमें से भूमि उपलब्धता की स्थिति को देखते हुए छः अनुमंडलों में चिकित्सीय सुविधा बढ़ाने एवं सुव्यवस्थित किये जाने हेतु 6 अनुमंडलीय अस्पताल के भवनों के निर्माण/उत्क्रमण ग्रीन बिल्डिंग प्रावधान किया गया है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के 6 अनुमंडलीय अस्पताल यथा रक्सौल (पूर्वी चम्पारण), सिकरहना ढाका (पूर्वी चम्पारण), विरौल (दरभंगा), गोगरी (खगड़िया), वीरपुर (सुपौल) एवं त्रिवेणीगंज (सुपौल) के प्रथम चरण में 50 शैय्या के भवन निर्माण हेतु विभिन्न दरों पर कुल रुपये 1,05,22,00,000/– (एक अरब पाँच करोड़ बाइस लाख रुपये) मात्र व्यय का प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी है।

2. उक्त के क्रम में मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्रांक–3608, दिनांक–03.11.2018 द्वारा तकनीकी अनुमोदित अलग–अलग प्राक्कलन विभिन्न दरों पर प्राप्त हुआ है, जो निम्न प्रकार है:–

क्रम	अस्पताल का नाम	प्राक्कलित राशि (सेन्टेज चार्ज सहित)	प्रथम चरण में 50 शैय्या के भवन निर्माण क्षेत्रफल (वर्गफीट)
1	पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल, रक्सौल के भवन निर्माण	17,05,00,000/–	3433 वर्गमीटर
2	पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल, सिकरहना (ढाका) के भवन निर्माण	16,72,00,000/–	3585 वर्गमीटर

3	दरभंगा जिलान्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल, विरौल के भवन निर्माण	18,35,00,000/-	4216 वर्गमीटर
4	खगड़िया जिलान्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल, गोगरी के भवन निर्माण	18,06,00,000/-	4264 वर्गमीटर
5	सुपौल जिलान्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल, वीरपुर के भवन निर्माण	18,02,00,000/-	4016 वर्गमीटर
6	सुपौल जिलान्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल, त्रिवेणीगंज के भवन निर्माण	17,02,00,000/-	3765 वर्गमीटर
	कुल–	**1,05,22,00,000/-**	

3. उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSIC) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगा:–

(i) भवन निर्माण कार्य स्वास्थ्य विभाग को आवंटित भूमि परिसर में अवस्थित उपलब्ध आवश्यक 2 एकड़ भूमि पर ही कराया जाएगा।

(ii) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(iii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।

(iv) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(v) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। भवन निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेंसी की ही होगी। सिविल सर्जन एवं प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह सम्पुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।

(vi) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा। भवन निर्माण संबंधी कार्यादेश निर्गत के उपरान्त समय सीमा का पूर्ण अनुपालन की जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेन्सी की होगी।

(vii) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय। तद्क्रम में निगम द्वारा भी भवन निर्माण संबंधी छः मासिक प्रगति से विभाग को अवगत कराया जाएगा, जबतक भवन निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाय।

(viii) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

4. मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0113–जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल भवनों का निर्माण, जीर्णोद्धार, विपत्र कोड–20-4210011100113, विषय शीर्ष– (53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना हेतु रुपये 5,50,00,000/–(पाँच करोड़ पचास लाख रुपये) प्रति अनुमंडलीय अस्पताल की दर से कुल रुपये 33,00,00,000/–(तेतीस करोड़ रुपये) विकलनीय होगी, शेष राशि कार्य प्रगति एवं मांग के अनुरूप व्यय की स्वीकृति दी जाएगी।

5. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म संख्या–46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी0एल0 खाता संख्या–PLA-244 एवं विपत्र कोड–K8448001110002 में सुलभ करायेंगे ।

6. बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण विवरणी (Plus-Minus Memoranda) माहवार तथा एतद्संबंधी डी0सी0 विपत्र छः माह के अन्दर सुलभ करायेंगे ।

7. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक–27.11.2007 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।

8. राशि की निकासी उपर्युक्त कंडिका–3 के मुख्य शीर्ष /उपशीर्ष में उपबंधित राशि से की जायेगी ।

9. राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार, पटना से की जायेगी।

10. प्रस्ताव में लोक वित्त समिति के दिनांक–14.12.2018 की बैठक में अनुमोदन प्राप्त है ।

11. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् के बैठक की दिनांक–15.01.2019 में मद संख्या–04 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत किया गया है ।

12. राज्यादेश प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

13. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–10/अनु0–5–05/2014 के पृष्ठ–..78../टि0 में प्राप्त है ।

14. संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

15. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है । आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

5/2/19

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक:– 1044(10) /स्वा0, पटना, दिनांक– 05/02/2019

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–15.01.2019 में मद संख्या–04 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, दरभंगा प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल एवं कोशी प्रमंडल, सहरसा/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, खगड़िया एवं सुपौल/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, दरभंगा प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल एवं कोशी प्रमंडल, सहरसा/सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, खगड़िया एवं सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–10, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1044(10)
05-02-19

4/2/19

सरकार के विशेष सचिव ।